न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वितीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़।
उपस्थित– श्री दीपक गौतम (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)(UP3634)
प्रकीर्ण वाद सं0–1017/2022
CNR N0. UPHP040207882022
समरीन सैफी बनाम आजाद सैफी आदि

मु0अ0सं0–100/2022
अन्तर्गत धारा–498ए,323,506,354 भा0दं0सं0
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–हापुड़ नगर, जनपद हापुड़।

दिनांकः 27.02.2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अंतिम आख्या सं0–148/2022 दिनांकित 21.06.2022 के निस्तारण हेतु नियत है। उक्त अंतिम आख्या पर वादिनी को नोटिस जारी किया गया। वादिनी न्यायालय उपस्थित आयी। वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त केस में मैं वादी मुकदमा हूॅ। वादी ने उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी, जिसमें थाना हाजा की पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, जिस पर मैं प्रार्थी पूर्णत सन्तुष्ट हूॅ तथा कोई साक्ष्य नहीं देना चाहती हूॅ। अंतिम रिपोर्ट के स्वीकार किये जाने पर वादी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि वादिनी उक्त केस में संबंधित थाना द्वारा की गयी विवेचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और उसे विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादिनी की अनापत्ति के प्रकाश में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु0अ0सं0–100/2022 अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 506, 354 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या सं0–148/2022 दिनांकित 21.06.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(दीपक गौतम),
अपर सिविल जज (जू0डि0) द्वितीय/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़।

Digitally signed by Deepak Gautam
Date: 2025.03.01 14:24:33 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Hapur